कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़(छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/2864/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक20/03/2020

WHO के अनुसार नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है। जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इसे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। शासन द्वारा जारी पत्र कमांक एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13/03/2020 के अंतर्गत तत्संबंध में आदेश प्रसारित किये गये हैं। एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा पत्र कमांक एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13/03/2020 के अंतर्गत दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रायगढ़ के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संकमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु निम्नलिखित संस्थानों:–

सभी मण्डियां व दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल स्थापनाऐं एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिनमें एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), एटीएम मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायर बिग्रेड, टेलीफोन व इंटरनेट सेवाएं, होटल एवं रेस्टोरेण्ट (जिनमें पक्की स्थायी संरचना एवं वैद्य लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा (COVID-19) के संदर्भ में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर), मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, डेलीनीड्स व किराना दुकानें, राशन दुकानें, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों

को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को दिनांक 05 अप्रैल 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया जाता है। आबकारी संबंधित ईकाइयों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जावेगा।

आदेश के उल्लंघन किये जाने पर नियम अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।

टीपः– शासन द्वारा जारी पत्र कमांक एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13/03/2020 के अंतर्गत उल्लेख है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा जारी उक्त पत्रांतर्गत **कोरोना वायरस (COVID-19) के संकमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी** किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमशः02

पृ. क्रमांक/2864-9 न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 20/03/2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य कर विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
7. पुलिस अधीक्षक, जिला-रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
8. आयुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. सहायक आयुक्त, आबकारी, जिला-रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा.) जिला-रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
12. सर्व विभाग प्रमुख, जिला-रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. सहायक संचालक, जनसम्पर्क, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)